ऋण पर ब्याज दर हेतु बैंक की विस्तृत नीति/दिशा-निर्देश

1. उद्देश्य :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋणों पर ब्याज दर निर्धारित किये जाने की स्वतंत्रता दिये जाने एवं बैंक द्वारा ऋणग्राहियों से प्राप्त ब्याज दर सम्बंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता महसूस किये जाने के फलस्वरूप "ऋणों/अग्रिमों पर ब्याज दर हेतु नीति/दिशानिर्देश" के नाम से एक पारदर्शी नीति निर्गत की जा रही है।

2. सामान्य :

2.1 शाखाएँ भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक एवं प्रवर्तक बैंक द्वारा निर्गत तथा बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदनोपरांत समय-समय पर परिपत्रित "ऋणों पर ब्याज दर" विषयक दिशानिर्देशों के अनुरूप ही ऋण/अग्रिम/कैश क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट आदि खातों में ब्याज प्रभारित करेंगी।

2.2 ब्याज, विनिर्दिष्ट दर से मासिक अन्तराल पर प्रभारित किया जाएगा। इस सम्बंध में पैराग्राफ-9 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें।

2.3 ब्याज की राशि निकटतम पूर्ण रूपयों में ही अंकित की जाएगी अर्थात ब्याज राशि में पैसे शामिल नहीं होंगे।

2.4 ऐसे ऋण खाते जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय बैंक तथा बैंक द्वारा छूट प्रदान की गई हो एवं कृषि ऋणों को छोड़कर अन्य सभी ऋण खातों में ब्याज दर निर्धारण हेतु ऋणी को प्रदत्त सभी ऋण सुविधाओं की ऋण सीमाओं का योग किया जायेगा एवं योग करने पर प्राप्त कुल ऋण राशि पर लागू ब्याज दर ही ऋणी के सभी ऋण सुविधाओं के खातों में प्रभारित की जायेगी।

2.5 रु0 2 लाख तक कार्यशील पूंजी और सावधि ऋण हेतु, ऐसे प्रकरणों में जहाँ ब्याज दर उल्लेखित नहीं है, बैंचमार्क मूल उधार दर, से ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

2.6 ऋण खातों में सेवा प्रभार (भा0रि0बैंक एवं राष्ट्रीय बैंक द्वारा छूट प्रदान किये गये ऋण श्रेणियों को छोड़कर) निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदनोपरांत समय-समय पर परिपत्रित दिशानिर्देश के अनुरूप वसूल किया जाएगा।

2.7 रु0 2.00 लाख तक के छोटे मूल्य के ऋणों पर ब्याज, प्रसंस्करण तथा अन्य प्रभार (अतिरिक्त ब्याज/पूर्व अदायगी/वास्तविक व्यय इत्यादि को छोड़कर) अधिकतम उधार दर से अधिक नहीं होगी।

2.8 लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित अल्पावधि ऋण (जिनकी पुर्नभुगतान अवधि 12 माह से कम है) खातों में, खाते में नामे की गयी ब्याज राशि मूलधन राशि से अधिक नहीं होगी।

2.9 किसान क्रेडिट कार्डधारक ऋणियों को छोड़कर अन्य कृषि ऋणियों को समस्त ऋण राशि का पुनर्भुगतान, निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार समय पर करने पर ब्याज दर

दर में 1 प्रतिशत की छूट आखिरी किस्तों में समायोजित कर प्रदान की जायेगी.।

3. <u>बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) तथा स्प्रेड :</u>

3.1 बीपीएलआर निर्धारित करते समय बैंक निम्न बातों को ध्यान में रखेगी–

(क) निधियों की लागत

(ख) परिचालनगत व्यय

(ग) प्रावधान/पूंजी प्रभार सम्बन्धी नियामक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वांछित न्यूनतम मार्जिन

(घ) लाभ मार्जिन

3.2 निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदनोपरांत समय–समय पर परिपत्रित बीपीएलआर और स्प्रेड सम्बन्धी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.3 पैराग्राफ–4 में उल्लेख किए गए ऋण प्रोडक्ट/खातों को छोड़कर रू0 2 लाख तक के ऋण सीमा के ऋण खातों हेतु बीपीएलआर उच्चतम ब्याजदर होगी।

3.4 रू0 2.00 लाख से ऊपर के ऋण खातों हेतु बीपीएलआर संदर्भ दर होगी एवं ऐसे ऋण खातों पर लागू ब्याज दर का निर्धारण ऋण जोखिम प्रीमियम व बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये बी0पी.एल0आर दर से ऊपर या नीचे किया जा सकता है।

3.5 यदि किसी श्रेणी के खातों के लिये ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड द्वारा बीपीएलआर से जोडकर अथवा एक स्थिर **(Fixed)** दर निर्धारित कर दिया जाता है तो बैंक उसका अनुपालन करेगा।

3.6 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात बैंक निर्यातकों को बीपीएलआर से नीचे ऋण प्रदान कर सकती है।

3.7 अच्छी साख वाले ऋणग्राहियों को बैंक बीपीएलआर से नीचे की दर पर निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर योजनानुसार ऋण प्रदान कर सकता है।

3.8 बीपीएलआर पर स्प्रेड अधिकतम 3 प्रतिशत होगा जो अधिकतम उधार दर (एमएलआर) कहलाएगा।

3.9 बीपीएलआर बैंक की सभी शाखाओं में सामान रूप से लागू होगी।

4. <u>बैंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से असम्बद्ध ऋण सुविधायें :</u>

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर निर्धारण में दी गई स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में बैंक निम्नलिखित श्रेणियों के ऋण खातों पर ब्याज दर बीपीएलआर एवं ऋण के आकार से सम्बद्ध किये बगैर निर्धारित कर सकता है।

(क) उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्रय के लिये दिये गये उपभोक्ता ऋण।

(ख) ऋणी, ऋणियों अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ ऋणी के संयुक्त नाम वाले बैंक की स्वयं की जमाओं के विरुद्ध ऋण।

(ग) वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु वैयक्तिक ऋण।

(घ) बिलों की डिस्काउण्टिंग।

(ङ) सेलेक्टिव, क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत नियंत्रित जिन्सों की प्रतिभूति पर ऋण/अग्रिम/नकद उधार/ओवर ड्राफ्ट।

5. ब्याज दर के प्रकार :

5.1 बैंक ऋणग्राहियों को निम्न चार प्रकार की ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकता है–

(1) स्थिर ब्याज दर

(2) पुर्ननिर्धारण क्लाज के साथ स्थिर ब्याज दर

(3) परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) ब्याज दर

(4) पुर्ननिर्धारण क्लाज के साथ परिवर्तनशील (फ्लोटिंग) ब्याज दर

5.2 ब्याज दरों में परिवर्तन होने पर, इस हेतु निर्दिष्ट तिथि से ही उसे प्रभावी माना जायेगा। ऐसा परिवर्तन विशेष रूप से छूट प्राप्त **(Exempted)** ऋण खातों को छोड़कर वर्तमान एवं भविष्य के सभी प्रकार के ऋण खातों पर लागू होगा।

5.3 ऐसी ब्याज दर जिसे बीपीएलआर अथवा बाजार बेंच मार्क से सम्बद्ध कर निर्धारित किया गया है, फ्लोटिंग ब्याज दर होगी।

5.4 स्थिर ब्याज दर, वह ब्याज दर होगी जो बीपीएलआर के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होगी। इस सम्बंध में अन्यथा विशेषरूप से उल्लेखित निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।

5.5 ऐसे ऋण प्रकरण, जिन्हें पुर्ननिर्धारण क्लाज के साथ स्थिर ब्याज दर अथवा पुर्ननिर्धारण क्लाज के साथ परिवर्तनशील ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया हो, में ब्याज दर का पुर्ननिर्धारण, ऋण संस्वीकृति की शर्तों में निहित रीसैट क्लाज में अंकित अवधि के पूर्ण हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

5.6 जबतक कि योजना में स्पष्ट रूप से अंकित न हो अथवा प्रधान कार्यालय द्वारा संस्वीकृति में स्पष्ट अंकित न किया गया हो, किसी भी ऋणग्राही को स्थिर ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5.7 बैंक अपने परिवर्तनशील ब्याज दर ऋण उत्पादों के लिये ब्याज दर निर्धारण हेतु बाहरी अथवा रूपये के बाजार मूल्य पर आधारित बेंच मार्क प्रणाली का भी उपयोग करेगा।

6. अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित करना :

6.1 ऋणग्राहियों के खाते में, उनके द्वारा निम्नांकित चूक करने पर सामान्य ब्याज दर से दो प्रतिशत (2%) अधिक ब्याज प्रभारित किया जायेगा :–

6.1.1 कार्यशील पूंजी के खातों की वार्षिक समीक्षा 30 दिनों से अधिक लम्बित होने पर देय तिथि से

6.1.2 स्टॉक स्टेटमेंट (7 दिनों के अन्दर) अथवा वित्तीय विवरणियां (दो माह के अन्दर) न प्रस्तुत करने पर ग्रेस अवधि को छोड़कर देय तिथि से

6.1.3 सावधि ऋणों के मामले में मासिक, त्रैमासिक अथवा पुर्नभुगतान अनुसूची के अनुरुप किस्त न जमा करने पर देय तिथि से अतिदेय किस्त राशि पर ।

6.1.4 खाते में नामे ब्याज का भुगतान सम्बन्धित माह / तिमाही की समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर न होने पर 15 दिन के ग्रेस अवधि को शामिल करते हुए डिफाल्ट अवधि के लिए

6.1.5 तदर्थ सीमा, एक्सपोर्ट ऋण को छोड़कर, का भुगतान नियत देय तिथि तक न होने पर सम्पूर्ण डिफाल्ट अवधि के लिए

6.1.6 स्वीकृति पत्रों की शर्तो का अनुपालन न होने पर

6.1.7 अनादरित बिलों के भुगतान न किए जाने पर सम्पूर्ण डिफाल्ट अवधि के लिए

6.1.8 सात दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय बिलों के मामलों में सम्पूर्ण अतिदेय अवधि के लिए

6.1.9 सी0सी0 अथवा ओ0डी0 खाते में नामे शेष यदि स्वीकृत ऋण सीमा / आहरण सीमा से अधिक निरन्तर सात दिनों तक बना रहता है तो, ऐसे खातों में अधिविकर्ष की दिनांक से खाते के नियमित होने की दिनांक तक अधिविकर्ष राशि (**Overdrawn Amount**) पर अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा।

6.2 निम्नलिखित श्रेणी के ऋणियों पर कोई अतिरिक्त ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा –

6.2.1 बन्द, बीमार / कमजोर यूनिटों को संस्वीकृत कार्यशील पूँजी सीमा पर ।

6.2.2 प्राकृतिक आपदा / राजनैतिक उपद्रव से प्रभावित ऋणग्राही पर ।

6.2.3 निर्यात ऋण तथा निर्यात इन्सेन्टिव हेतु स्वीकृत लिमिट पर ।

6.2.4 स्वीकृति सीमा / आहरण सीमा के अन्दर किन्तु परिचालात्मक लिमिट से अधिक के आहरण पर।

6.2.5 रु0 25000 / – तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों पर ।

6.2.6 रु0 7.50 लाख तक के शिक्षा ऋणों पर ।

6.2.7 निर्धारित मार्जिन उपलब्ध होने पर राष्ट्रीय विकास पत्र / किसान विकास पत्र / सावधि जमा / जीवन बीमा पॉलिसी के ऋण प्रकरणों पर ।

6.3 जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित न हो, अतिरिक्त ब्याज सहित ब्याज दर गैर प्राथमिकता क्षेत्र के लिये अधिकतम उधार दर (एमएलआर) + 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के लिए लागू दर + 2 प्रतिशत या एमएलआर जो भी कम हो, वह ब्याज दर होगी।

6.4 बैंक के विभिन्न परिपत्रों में उल्लिखित दण्डात्मक ब्याज के स्थान पर "अतिरिक्त ब्याज" शब्द स्थापित किया जा रहा है और अब आगे ऋणग्राही से किसी दस्तावेज और / अथवा सम्प्रेषण में दण्डात्मक ब्याज के स्थान पर अतिरिक्त ब्याज शब्द प्रयोग किया जायेगा।